राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज0,
'कर–भवन', अजमेर

क्रमांकः एफ–7(57)जन/2013/ 833–46 दिनांक 16/2/15

1 अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
जयपुर।

2 समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं पदेन (कलक्टर)
मुद्रांक विभाग,
राजस्थान।

विषय :– मुद्रांक प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा विशेष राहत योजनान्तर्गत ब्याज व पेनल्टी में छूट के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.2015 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर
16/2/15

F7(57)Fin./13/

124
16/2/15

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 14.02.2015

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.2(6)वित्त/कर/2014–143 दिनांक 16.12.2014, समय–समय पर यथा संशोधित, को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि:–

1. कलक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में दिनांक 16.12.2014 तक दर्ज एवं विचाराधीन मुद्रांक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि दिनांक 31.3.2015 तक जमा कराने पर उस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में 75 प्रतिशत की रियायत देय होगी।
2. कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा दिनांक 16.12.2014 तक निर्णीत मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि दिनांक 31.3.2015 तक जमा करवाने पर उस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में 75 प्रतिशत की रियायत देय होगी।
3. राजस्थान कर बोर्ड या किसी न्यायालय में स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में दिनांक 16.12.2014 तक दर्ज एवं विचाराधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार ऐसे प्रकरण को withdraw करके स्टाम्प ड्यूटी पेटे देय राशि दिनांक 31.3.2015 तक जमा करवाता है तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति में 75 प्रतिशत की रियायत देय होगी।

उक्त प्रकार के किसी भी प्रकरण में पूर्व में अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी, ब्याज व शास्ति के रूप मे भुगतान की गई किसी अन्य राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं होगा।

(सं. प.2(6)वित्त/कर/2014–190)
राज्यपाल के आदेश से,

(मनीष माथुर)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

E:\Manish\Notification_Hindi_A4.docx